प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक 18.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त कासिम शेख पुत्र मोहम्मद शमशेर शेख निवासी बंगाली बस्ती कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1.100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे बाहर से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते हैं उनसे अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

कासिम शेख पुत्र मोहम्मद शमशेर शेख निवासी बंगाली बस्ती कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

कुल 1.100 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गांजा की तस्करी करने के सम्बन्ध में 02 अभियोग, जुआ अधिनियम के 02 अभियोग **(कुल 04 अभियोग)** पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करनेवाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से चोरी की गई 04 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

दिनांक 17.01.2026 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त **अमन पुत्र वेदप्रकाश**, निवासी भीमनगर गली नं. 02, मकान नं. 119, थाना क्रासिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद (उम्र 23 वर्ष)**हैप्पी उर्फ अभिषेक पुत्र ब्रह्मपाल**, निवासी एल-4डी/96, एल ब्लॉक, सेक्टर-09, थाना विजयनगर, गाजियाबाद (उम्र लगभग 21 वर्ष)को लोकेशेड तिराहा, थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि वे मिलकर दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में सड़क, बाजार तथा भीड़-भाड़ वाले इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। चोरी की गई मोटरसाइकिलों को छिपाकर बाद में सस्ते दामों पर

बेच देते थे। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि आज बरामद हुई मोटरसाइकिलें भी चोरी की हैं, जिन्हें उन्होंने छिपाकर रखा था। वे इन्हें बेचने की फिराक में घूम रहे थे।

बरामदगी का विवरण

1. मोटरसाइकिल (बुलेट) रजिस्ट्रेशन नं. UP14EQ2251
2. मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजिस्ट्रेशन नं. UP14CA8534
3. मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस रजिस्ट्रेशन नं. DL7SCS2717
4. मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स रजिस्ट्रेशन नं. UP37Q5226

अभियुक्तों का अपराध इतिहास

अमन: थाना विजयनगर पर चोरी के 03 अभियोग तथा थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर मारपीट से संबंधित 01 अभियोग पंजीकृत। कुल 04 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद में दर्ज।
हैप्पी उर्फ अभिषेक: थाना नंदग्राम पर चोरी का 01 अभियोग तथा थाना विजयनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत। कुल 02 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद में दर्ज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा कार चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 कार, 01 लॉक तोडने की इलैक्ट्रोनिक डिवाइस , 03 कटर व 03 चाबी व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

दिनांक 17.01.2026 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त प्रवीन कुमार उर्फ काले पुत्र रामपाल निवासी डी – 935 गली नं0 12 नियर दुर्गा मन्दिर अशोक नगर दिल्ली को सीएचएसपी स्कूल से आगे फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपनी साथी फैजल के साथ मिलकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में घरों के सामने खड़ी गाड़ी को इलैक्टोनिक डिवाइस की मदद से उनके लॉक तोड़ कर उन्हे चोरी करके छिपा देते है। तथा उनको सस्ते दामों पर बेच देते है। जो रूपया मिलता है उसे आपस में बांट लेते है। साहब आज जो गाडी मुझसे बरामद हुई है वह भी चोरी की है। जिसमें से एक कार को हमारे द्वारा दिल्ली से तथा दूसरी को सिहानी गेट क्षेत्र से चोरी की गयी थी। आज भी हम गाड़ी चोरी की फिराक में घुम रहे थे।

नाम पता अभियुक्त

प्रवीन कुमार उर्फ काले पुत्र रामपाल निवासी डी – 935 गली नं0 12 नियर दुर्गा मन्दिर अशोक नगर दिल्ली उम्र 44 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. कार विटरा ब्रेजा रजिस्ट्रेशन नं0 UP14DB7444
2. कार स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नं0 DL8CAC4193
3. 01 लॉक तोडने की इलैक्ट्रोनिक डिवाइस
4. 03 नाजायज कटर , 03 चाबी , व अन्य उपकरण
5. 01 फर्जी नम्बर प्लेट

अभियुक्त का अपराध इतिहासः-

अभियुक्त प्रवीन कुमार उर्फ काले उपरोक्त पर - 100 से अधिक अभियोग चोरी एवं बरामदगी के दिल्ली प्रदेश में, 04 अभियोग चोरी एवं बरामदगी के जनपद हाथरस में, 01 अभियोग चोरी का थाना लिंकरोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद में कुल 105 से अधिक अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 01 ई लोडर बरामद।

घटना एंव कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 17.01.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग, गश्त एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना सिहानी गेट पर धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी का 01 ई- लोडर (रजि. नं. UP14 QT 9851) मेरठ रोड स्थित अंबुजा पार्क, पटेल नगर के पास से बरामद किया गया तथा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने बताया कि उक्त बरामद ई-लोडर को उन्होंने दिनांक 17.01.2026 की सुबह के.के. मित्तल अस्पताल, पटेल नगर के पास से चोरी किया था। साथ ही उन्होंने सिहानीगेट क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों से पूर्व में भी लगभग 04 ई-रिक्शे चोरी करने की बात स्वीकार की।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण ने थाना नंदग्राम पर धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित दिनांक 10.01.2026 को श्री वैष्णो नर्सरी, राजनगर एक्सटेंशन के सामने से एक बैटरी ई-रिक्शा चोरी करने की बात भी स्वीकार की। उक्त रिक्शा को अभियुक्त फुरकान ने अपने कबाड़ की दुकान पर ले जाकर बैटरी व अन्य पार्ट्स निकालकर काट दिया और उन्हें कबाड़ियों को अलग-अलग बेच दिया। प्राप्त धनराशि को तीनों अभियुक्तों ने आपस में बांटकर व्यक्तिगत खर्च कर लिए।

अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि उन्होंने थाना नंदग्राम क्षेत्र से पूर्व में लगभग 02 रिक्शे चोरी कर उनके पार्ट्स अलग-अलग कर बेच दिए। अब तक अभियुक्तगण द्वारा आधा दर्जन से अधिक ई-रिक्शों की चोरी कर उन्हें काटकर नष्ट किया जा चुका है।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तगण के कब्जे से 01 ई लोडर बरामद।

नाम पता अभियुक्त-

1. दीपक पुत्र स्व0 दुर्विजय नि0 गुलधर फाटक के पास, से0 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद मूल निवासी अलापुर ककराला थाना अलापुर ककराला जनपद बदाँयू।

2.धर्मेन्द्र पुत्र भरत सिंह नि0 गुलधर फाटक के पास, के0डी0एम0 स्कूल, से0 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।

3. फुरकान पुत्र रहमान नि0 मोरटा थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम मल्लूपुरा थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में थाना साहिबाबाद, थाना मधुबन बापूधाम, थाना मुरादनगर, थाना नन्दग्राम पर वाहन चोरी व अन्य चोरी के 01-01 कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना नन्दग्राम पर मारपीट का 01 अभियोग व थाना नन्दग्राम में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम